

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

भंवरीदेवी

किस्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

जीवणी वगैरह

मुकदमा नं. 96/2022

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
10.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। वकील वादी का आवाजे लगवाई गई। वकील वादी एवं पक्षकारान बावजूद तारीख पेशी सूचना के गैर हाजिर है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 88 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 20.04.2022 से तलबी हेतु न्यायालय में तलबी हेतु विचाराधीन है। वकील वादी को पूर्व में अनेक अवसर प्रकरण मे पैरवी एवं प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिये गये। परन्तु वकील वादी ने न तो प्रतिवादीगण की तलबी कराई है तथा ना ही प्रकरण में हाजा में पैरवी हेतु उपस्थित आ रहे है। ऐसा प्रतीत होता है कि वकील वादी वाद पत्र को चलाने के इच्छुक नहीं है।</p> <p>अतः वादी का वाद अधीन धारा 88 आरटीएक्ट अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	